

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 मई 2026 — वैशाख 17, शक 1948

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 मई 2026

अधिसूचना

FileNo./LAND/1132/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल की निम्नलिखित भूमि को उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर “आरक्षित वन” के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है तथा उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

जिला- रायगढ़ वनमंडल-धरमजयगढ़ तहसील-छाल वन परिक्षेत्र-छाल

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में एवं भूमि की मद	अवस्थिति तथा सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुरुंगा	पी,एच.क्र.43 पुरुंगा	461/1/क	6.00	उत्तर -कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र.01 से 06 तक । पूर्व -कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 06 से 09 तक । दक्षिण -कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 12 तक । पश्चिम -कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 12 से 14 तथा 14 से 01 तक।

2.	भुंडीबहरी	पी,एच.क्र.46 भुंडीबहरी	124/2/क	30.390	उत्तर - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 11 तक। पूर्व - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 18 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र.18 से वन कक्ष 1172RF का कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र.11 तक। दक्षिण - वन कक्ष क्र. 1172RF कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र.11 से 05 तक । पश्चिम - वन कक्ष 1172RF कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से प्रस्तावित वन खण्ड कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक ।
			योग	36.390	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 मई 2026

FileNo./LAND/1132/2025-FOREST.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र./LAND/1132/2025-FOREST दिनांक 04-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.आर. सोन्टापर, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 4th May 2026

NOTIFICATION

File No./LAND/1132/2025-FOREST:- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Numbers and areas as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as "Reserved Forest" and appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dharamjaigarh sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-

SCHEDULE

District-Raigarh Forest Division-Dharamjaigarh Tahsil-Chhal Forest Range-Chhal

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area in (Hectare) and head of land	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Purunga	P.H. No. 43 Purunga	461/1/k	6.00	North – Artificial Boundary line Survey Pillar No. 01 to 06. East – Artificial Boundary line Survey Pillar No.

					06 to 09. South – Artificial Boundary line Survey Pillar No. 09 to 12. West – Artificial Boundary line Survey Pillar No. 12 to 14 and 14 to 01.
2.	Bhundibahri	P.H. No. 46 Bhundibahri	124 /2/k	30.390	North – Artificial Boundary line Survey Pillar No. 03 to 11. East – Artificial Boundary line Survey Pillar No. 11 to 18 and Artificial Boundary line Survey Pillar No. 18 to Artificial Boundary line Survey Pillar No. 11 of forest Compartment 1172 RF. South – Forest Compartment 1172RF of Artificial Boundary line Survey Pillar No. 11 to 05. West – Forest Compartment 1172RF of Artificial Boundary line Survey Pillar No. 05 to Proposed forest block artificial Boundary line Survey Pillar No. 01 and artificial Boundary line Survey Pillar No.01 to 03.
			Total	36.390	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Special Secretary.